कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 16047/प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड.....

विषयः–बिना स्थायी वर्गीकरण आदेश वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के न्यायालयीन प्रकरणों में **"अभ्यावेदन निराकरण आदेश"** जारी करने हेतु **"आदेश प्रारूप"** भिजवाने विषयक।

––0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा जिनके संबंध में स्थाई वर्गीकरण का आदेश जारी नहीं हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यूनतम वेतन एवं वेतन अंतर की एरियर राशि प्राप्त करने के लिये रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस कार्यालय के स्तर पर विभिन्न परिक्षेत्र स्तर से जारी किये जा रहे अभ्यावेदन निराकरण आदेशों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि मुख्य रूप से याचिकाकर्ता कर्मचारियों के पक्ष में स्थाई वर्गीकृत किये जाने संबंधी आदेश जारी नहीं होने के एकमात्र आधार पर अभ्यावेदनों को अमान्य करने संबंधी आदेश जारी किये जा रहे हैं।

इस कार्यालय का मानना है कि इस प्रकृति के अभ्यावेदन निराकरण आदेश को आधार बनाकर भविष्य में पुनः याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा नई याचिकायें माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं, जिनका बाद में प्रतिरक्षण मुश्किल हो सकता है। इसलिये प्रथम स्तर पर ही अभ्यावेदन निराकृत करते समय विभाग/शासन के पक्ष के सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकृति के कुछ न्यायालयीन प्रकरणों में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किये गये हैं। ऐसा ही एक **"आदेश नमूना"** जिसमें विभागीय पक्ष के सभी

संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है। इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है।यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से पूर्व में जारी आदेश प्रारूपों का परीक्षण कर लें, तथा जिन प्रकरणों में आपके द्वारा अति आवश्यक समझा जावे, उन प्रकरणों में संशोधित आदेश भी ''नमूना आदेश प्रारूप'' के अनुसार'' जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना–7 पेज

27/12"

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 16047/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपी :–

प्रमुख सचिव महोदय, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना–7 पेज

27/12"

प्रमुख अभियंता

Seema letter

अभ्यावेदन निराकरण आदेश का नमूना

प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक /प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 30149/2022 (कमलेश कुमार साहू एवं 37 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जबलपुर/मैकेनिकल खंड जबलपुर के अधीनस्थ कार्यरत स्थाई कर्मी कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) (4) श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं (5) श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर) के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री कमलेश कुमार साहू एवं 37 अन्य दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क .30149/2022 दायर कर, माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(अ) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान, मंहगाई भत्ते के साथ तथा एरियर राशि प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों के प्रकरणों का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य'' में पारित निर्णय के प्रकाश में, विचारण करें।

(स) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों (Annexure P/3 एवं P/4) पर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए विचार करें एवं उन्हें निराकृत करें ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

Accordingly, it is directed that on the petitioners' filing a certified copy of this order along with a fresh representation within fifteen days from today before respondent nos. 1 and 2, the same shall be decided through a speaking order within a further period of ninety days under communication to the petitioners.

This court has not expressed any opinion on the merits of the case.

In above terms, the petition is disposed of.

(3) रिट याचिका क. . 30149/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के अनुपालन में स्थाई कर्मी कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) एवं (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) द्वारा कार्यपालन यंत्री, मैकेनिकल खंड जबलपुर के समक्ष एक ही प्रकृति के